निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1942 (श0)

(सं0 पटना 384) पटना, मंगलवार, 30 जून 2020

परिवहन विभाग

अधिसूचना

30 जून 2020

सं० 02/कर/शुल्क–03/2020–5125/परि0—भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी (Covid-19) के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके फलस्वरुप बिहार राज्य में व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन तथा मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ है।

कोरोना महामारी (Covid-19) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित में बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 (1)–सहपठित–धारा–23 के **परन्तुक** द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में निबंधित सभी प्रकार के व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन एवं मालवाहक वाहन के वाहन स्वामियों द्वारा दिनांक 21.03.2020 से दिनांक 30.06.2020 तक की अवधि का तिमाही पथकर दिनांक 31.07.2020 तक जमा किये जाने पर देय कर में 40% का एकमुश्त छूट दिया जायेगा एवं कोई अर्थदण्ड देय नहीं होगा।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

Transport Department

Notification

30th June 2020

No.-02/Tax/Fee–**03/2020–5125**/Trans—As a safety measure against the spread of novel corona virus (COVID-19) infection, a nationwide lockdown was enforced by Government of India which impacted the operation of commercial passenger and goods vehicle in the state.

In exercise of the powers conferred by section 15(1) read with provisio of section-23 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, Government of Bihar, being satisfied that it is necessary in public interest to do so, considering the impact of the nationwide lockdown due to the the COVID-19 pandemic, hereby provides a 40% tax rebate and exempts penalty charges on payment of quarterly taxes applicable for the period 21.03.2020 - 30.06.2020 for commercial passenger and goods vehicles registered in the State of Bihar. The tax rebate and penalty exemption shall be applicable only if the payment is made by 31.07.2020.

2. This notification shall come into force from the date of its final publication in the Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 384-571+10-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या–02/कर/शुल्क–03/2020, परि0 5125 पटना, दिनांक–30/6/2020

भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी (Covid-19) के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके फलस्वरुप बिहार राज्य में व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन तथा मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ है।

कोरोना महामारी (Covid-19) के कारण पूरे देश में लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जनहित में बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 (1)–सहपठित–धारा–23 के **परन्तुक** द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य में निबंधित सभी प्रकार के व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन एवं मालवाहक वाहन के वाहन स्वामियों द्वारा दिनांक–21.03.2020 से दिनांक–30.06.2020 तक की अवधि का तिमाही पथकर दिनांक–31.07.2020 तक जमा किये जाने पर देय कर में 40% का एकमुश्त छूट दिया जायेगा एवं कोई अर्थदण्ड देय नहीं होगा।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।
29/6
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर/शुल्क–03/2020, परि0 5125 पटना, दिनांक–30/6/2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

29/6
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर/शुल्क–03/2020,परि0 5125 पटना, दिनांक–30/6/2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, विधि विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर/शुल्क–03/2020, परि0 5125 पटना, दिनांक–30/6/2020

प्रतिलिपि :– राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/6
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर/शुल्क–03/2020, परि0 5125 पटना, दिनांक–30/6/2020

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार, सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/6
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर/शुल्क–03/2020, परि0 5125 पटना, दिनांक– 30/6/2020

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन/मैपिंग करने की कृपा की जाय।

29/6

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–02/कर/शुल्क–03/2020, परि0 5125 पटना, दिनांक– 30/6/2020

प्रतिलिपि :– आई.टी.मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/6

सरकार के सचिव